रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252723
CG-DL-E-07032024-252723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1078] नई दिल्ली,बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945
No. 1078] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

आयकर

का.आ. 1135(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद 'आयकर अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 80ठक की उपधारा (1क) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अधिनियम, केंद्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, (इसके बाद आदाता के रूप में संदर्भित) की इकाई होने के नाते किसी भुगतानकर्ता द्वारा व्यक्ति को उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट भुगतानों के संबंध में नीचे सारणी के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कर कटौती नहीं की जाएगी जैसा कि उक्त सारणी (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है :-

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की एक इकाई द्वारा प्राप्य भुगतानों की सूची

तालिका

क्र.सं.	**अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी इकाई) (आदाता)**	**प्राप्ति की प्रकृति**	**आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार संगत टीडीएस प्रावधान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	बैंकिंग इकाई	बाह्य वाणिज्यिक उधार/ऋण पर ब्याज आय	धारा 195
		व्यावसायिक शुल्क	धारा 194ञ
		परामर्श शुल्क	धारा 194च
		ब्रोकरेज आय	धारा 194च
		फैक्टरिंग और फोरफेटिंग सेवाओं पर कमीशन आय	धारा 194च
2.	आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय	बीमा आयोग	धारा 194घ
3.	वित्त कंपनी	बाह्य वाणिज्यिक उधार/ऋण पर ब्याज आय	धारा 195/ 194क
		लाभांश आय	धारा 194
		फैक्टरिंग और फ़ोरफ़ाइटिंग सेवाओं पर कमीशन आय	धारा 194च
4.	वित्त इकाई	बाह्य वाणिज्यिक उधार/ऋण पर ब्याज आय	धारा 195/ 194क
		लाभांश आय	धारा 194
		फैक्टरिंग और फ़ोरफ़ाइटिंग सेवाओं पर कमीशन आय	धारा 194च
5.	निधि प्रबंधन संस्था	व्यावसायिक शुल्क	धारा 194 ञ
6.	ब्रोकर डीलर	लाभांश	धारा 194
7.	निवेश सलाहकार	निवेश सलाहकार शुल्क	धारा 194 ञ
8.	पंजीकृत वितरक	वितरण शुल्क और कमीशन शुल्क	धारा 194च
9.	अभिरक्षक	व्यावसायिक शुल्क	धारा 194 ञ
		कमीशन शुल्क	धारा 194च
10.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	धारा 194 ञ
11.	निवेश बैंकर	निवेश बैंकर शुल्क	धारा 194 ञ
12.	डिबेंचर ट्रस्टी	ट्रस्टीशिप शुल्क	धारा 194 ञ
13.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा या "आईटीएफएस"	कमीशन आय	अनुभाग 194च
14.	फिनटेक इकाई	तकनीकी शुल्क/व्यावसायिक शुल्क	धारा 194ञ
		कमीशन आय	धारा 194च

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) *"बैंकिंग इकाई" का* वही अर्थ होगा जो इसे *अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड* (ग) *में दिया गया है;*

(ख) "ब्रोकर डीलर" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (पूंजीगत बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और विनियम 7 के प्रावधान उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 6 के समक्ष निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(ग) "क्रेडिट रेटिंग एजेंसी" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (पूंजीगत बाजार मध्यस्थों) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ञ) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और विनियम 7 के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकारण द्वारा ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण के अधीन उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के तहत क्रम संख्या 10 के सामने निर्दिष्ट **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे। अधिकार** ;

(घ) "अभिरक्षक" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (पूंजीगत बाजार मध्यस्थों) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ) में दिया गया है और उक्त विनियमों के 3, 5, 6 और विनियम 7 के प्रावधान उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 9 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(ङ.) "डिबेंचर ट्रस्टी" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (पूंजीगत बाजार मध्यस्थों) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड़) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और विनियम 7 के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा ऐसे डिबेंचर ट्रस्टी के पंजीकरण के अधीन उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के तहत क्रम संख्या 12 के खिलाफ निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय **वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे** ;

(च) "वित्त कंपनी" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड़) में दिया गया है;

(छ) "वित्त इकाई" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (च) में दिया गया है;

(ज) "फिनटेक इकाई" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के 27 अप्रैल, 2022 के परिपत्र** के पैरा 2 के उप-पैरा (i) में दिया गया **है और** उक्त परिपत्र का पैरा 12 उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रमांक 14 के समक्ष निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होगा;

(झ) "निधि प्रबंधन इकाई" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (फंड प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (त) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 4 और विनियम 5 के प्रावधान उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 5 के विरुद्ध निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(ञ) "आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (बीमा मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ध) में दिया गया है;

(ट) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है;

(ठ) "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा" या "आईटीएफएस" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के दिनांक 9 जुलाई, 2021 के परिपत्र के पैराग्राफ 2बी के उप-पैराग्राफ (iii) और उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2ई में दिया गया है। उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 13 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होगा;

(ड़) "निवेश सलाहकार" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (पूंजीगत बाजार मध्यस्थों) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (न) में दिया गया है (विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (च) के प्रावधान के तहत शामिल व्यक्तियों को छोड़कर) और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और विनियम 7 के प्रावधान उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 7 के लिए विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे।;

(ढ) "निवेश बैंकर" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (पूंजीगत बाजार मध्यस्थों) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (प) और प्रावधानों में दिया गया है। उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और विनियम 7 उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 11 के लिए विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(ण) "पंजीकृत वितरक" का वही अर्थ होगा जो **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (**पूंजीगत बाजार मध्यस्थों**) विनियम, 2021** के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (घघक) और प्रावधानों में दिया गया है। उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और विनियम 7 उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 8 के लिए विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(त) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में दिया गया है;

(थ) ***सभी परिस्थितियों में "*आदाता*"*** आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धारा (3) के तहत *स्पष्टीकरण* के उप-खंड (क) और (घ) के अर्थ के भीतर किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई बना रहेगा;

(द) **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (बैंकिंग) विनियम, 2020 या **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (बीमा मध्यस्थ) विनियम, 2021 या **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 या **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (फंड प्रबंधन) विनियम, 2022 या **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (पूंजीगत बाजार मध्यस्थों) विनियम, 2021 या **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** के दिनांक 9 जुलाई, 2021 के परिपत्र या **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** के दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के तहत वित्तीय सेवाएं होंगी;

(ध) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रासंगिक विनियमन या परिपत्र के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

2.1 उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं, अर्थात्: -

(क) 'आदाता' -

(i) 'भुगतानकर्त्ता' को प्रपत्र सं. 1 में एक वक्तव्य-सह-घोषणा प्रस्तुत करें जिसमें लगातार दस निर्धारण वर्षों से संबंधित विगत वर्षों का वक्तव्य दिया गया हो, जिसके लिए 'भुगतानकर्त्ता' आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है; और

(ii) ऐसा वक्तव्य-सह-घोषणा प्रपत्र सं.1 में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा, जो लगातार दस निर्धारण वर्षों से संबंधित प्रत्येक विगत वर्ष के लिए होगा, जिसके लिए 'भुगतानकर्त्ता' आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है ।

(ख) 'भुगतानकर्ता' -

(i) 'आदाता' से प्रपत्र सं.1 में वक्तव्य-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तारीख के बाद 'आदाता' को किए गए भुगतान या जमा किए गए भुगतान पर कर नहीं काटा जाएगा; और

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 31क में निर्दिष्ट कर कटौती के वक्तव्य में इस अधिसूचना के मद्देनजर 'भुगतानकर्त्ता' को किए गए सभी भुगतानों का वक्तव्य भी प्रस्तुत करें, जिस पर कर की कटौती नहीं की गई है।

2.2 उपरोक्त छूट 'भुगतानकर्त्ता' को केवल कथित विगत वर्षों के दौरान ही उपलब्ध होगी, जो प्रपत्र सं. 1 में 'भुगतानकर्त्ता' द्वारा घोषित दस लगातार निर्धारण वर्षों से संबंधित है, जिसके लिए धारा 80ठक के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है। 'भुगतानकर्त्ता' किसी अन्य वर्ष के लिए ऊपर बताए अनुसार भुगतान पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।

3. प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, डेटा के सुरक्षित कैप्चर और ट्रांसमिशन और दस्तावेज़ो की अपलोडिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे और प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

4. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी ।

प्रपत्र सं. 1

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ('आदाता') की किसी इकाई द्वारा 'भुगतानकर्ता' को प्रस्तुत किया जाना है

(1) निर्धारिती का नाम:

(2) स्थायी खाता संख्या:

(3) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई का नाम और पता:

(4) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (क) के

तहत प्राप्त अनुमति की तारीख या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत अनुमति या पंजीकरण की तारीख) या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के तहत अनुमति या पंजीकरण, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) में उल्लिखित है:

वक्तव्य-सह- घोषणा

मैं ....की.. पुत्र/पुत्री .... की क्षमता में इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त इकाई .... के व्यवसाय में लगी हुई है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) और उप-धारा (2) के तहत कटौती के लिए पात्र है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई ने विगत वर्ष की अवधि के लिए उक्त कटौती का दावा करने का विकल्प चुना है जो निर्धारण वर्ष... विगत वर्ष ... के लिए निर्धारण वर्ष ... .के लिए प्रासंगिक हैं। मैं आगे घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में काम करने वाली एक इकाई बनी हुई है और वर्ष .... के दौरान .... के व्यवसाय में लगी हुई है (प्रासंगिक निर्धारण वर्ष............ .. .... के लिए) जिसमें यह वक्तव्य-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है।

सत्यापन

मैं................. पुत्र /पुत्री..........................क्षमता में इसके द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए सभी वक्तव्य सही और पूर्ण हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(आयकर अधिनियम की धारा 140 में दिए गए अनुसार आय रिटर्न पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए)

[अधिसूचना संख्या 28/2024/फा. सं. 275/21/2023-आईटी(बी)]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2024

INCOME TAX

S.O. 1135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A read with sub-section (1A) and sub-section (2) of section 80LA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as the Income-tax Act), the Central Government hereby notifies that no deduction of tax shall be made under the provisions of the Income-tax Act as specified in column (4) of the Table below in respect of the payments, as specified in column (3) of the said Table, made by any 'payer' to a person being a Unit of International Financial Services Centre, (hereinafter referred as 'payee'), as specified in column (2) of the said Table:-

List of payments receivable by a Unit of International Financial Services Centre (IFSC)

TABLE

Sl. No.	**International Financial Services Centre (IFSC Unit) (Payee)**	**Nature of receipt**	**Relevant TDS provisions as per Income-tax Act, 1961**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Banking Unit	Interest income on External Commercial Borrowings /Loans	Section 195
		Professional fees	Section 194J
		Referral fees	Section 194H
		Brokerage income	Section 194H
		Commission income on factoring and forfaiting services	Section 194H
2.	IFSC Insurance Intermediary office	Insurance commission	Section 194D
3.	Finance Company	Interest income on External Commercial Borrowings /Loans	Section 195/ 194A
		Dividend income	Section 194
		Commission income on factoring and forfaiting services	Section 194H
4.	Finance Unit	Interest income on External Commercial Borrowings /Loans	Section 195/ 194A
		Dividend income	Section 194
		Commission income on factoring and forfaiting services	Section 194H
5.	Fund Management entity	Professional fee	Section 194J
6.	Broker Dealer	Dividend	Section 194
7.	Investment advisor	Investment advisory fee	Section 194J
8.	Registered Distributor	Distribution fee and Commission fee	Section 194H
9.	Custodian	Professional fee	Section 194J
		Commission fee	Section 194H
10.	Credit rating agency	Credit rating fee	Section 194J
11.	Investment banker	Investment banker fee	Section 194J
12.	Debenture trustee	Trusteeship fee	Section 194J
13.	International Trade Finance Service or "ITFS"	Commission income	Section 194H
14.	FinTech Entity	Technical fee/Professional fee	Section 194J
		Commission income	Section 194H

2. For the purposes of this notification, –

(a) "Banking Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;

(b) "Broker dealer" shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and regulation 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 6 under column (2) of the above table;

(c) "Credit rating agency" shall have the same meaning as assigned to it in clause (j) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and regulation 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 10 under column (2) of the above table subject to registration of such credit rating agencies by International Financial Services Centres Authority;

(d) "Custodian" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and regulation 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 9 under column (2) of the above table;

(e) "Debenture trustee" shall have the same meaning as assigned to it in clause (m) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and regulation 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 12 under column (2) of the above table subject to registration of such debenture trustee by International Financial Services Centres Authority;

(f) "Finance Company" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021;

(g) "Finance Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021;

(h) "FinTech Entity" shall have the same meaning as assigned to it in sub-paragraph (i) of paragraph 2 of the International Financial Services Centres Authority's Circular, dated the 27th April, 2022 and paragraph 12 of the said circular shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 14 under column (2) of the above table;

(i) "Fund management entity" shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 and the provisions of regulations 3, 4 and regulation 5 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 5 under column (2) of the above table;

(j) "IFSC insurance intermediary office" shall have the same meaning as assigned to it in clause (s) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021;

(k) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(l) "International Trade Finance Service" or "ITFS" shall have the same meaning as assigned to it in sub-paragraph (iii) of paragraph 2B of the International Financial Services Centres Authority's Circular, dated the 9th July, 2021 and paragraph 2E of the said circular shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 13 under column (2) of the above table;

(m) "Investment adviser" shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 (except the persons covered under proviso to clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 3), and the provisions of regulations

3, 5, 6 and regulation 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 7 under column (2) of the above table;

(n) "Investment banker" shall have the same meaning as assigned to it in clause (u) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and regulation 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 11 under column (2) of the above table;

(o) "Registered distributor" shall have the same meaning as assigned to it in clause (dda) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and regulation 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 8 under column (2) of the above table;

(p) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(q) the "payee" under all circumstances shall remain an International Financial Services Centre Unit within the meaning of sub-clause (a) and (d) to *Explanation* under sub-section (3) of section 80LA of the Income-tax Act;

(r) the services qualifying under this notification shall be the financial services under International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 or International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 or International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 or International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 or International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 or International Financial Services Centres Authority's Circular, dated the 9th July, 2021 or International Financial Services Centres Authority's Circular, dated the 27th April, 2022;

(s) the International Financial Services Centre Unit shall be registered under relevant regulation or circular of International Financial Services Centres Authority.

2.1 The above provisions are subject to the following conditions, namely: -

(a) The 'payee' shall –

(i) furnish a statement-cum-declaration in Form No. 1 to the 'payer' giving details of previous years relevant to the ten consecutive assessment years for which the 'payee' opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the Income-tax Act; and

(ii) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner prescribed in Form No. 1, for each previous year relevant to the ten consecutive assessment years for which the 'payee' opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the Income-tax Act.

(b) The 'payer' shall –

(i) not deduct tax on payment made or credited to 'payee' after the date of receipt of copy of statement- cum-declaration in Form No. 1 from the 'payee'; and

(ii) also furnish the particulars of all the payments made to 'payee' on which tax has not been deducted in view of this notification in the statement of deduction of tax referred to in sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act read with rule 31A of the Income-tax Rules, 1962.

2.2 The above relaxation shall be available to the 'payee' only during the said previous years relevant to the ten consecutive assessment years as declared by the 'payee' in Form No. 1 for which deduction under section 80LA is being opted. The 'payer' shall be liable to deduct tax on payments as referred above for any other year.

3. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the

case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

4. This notification shall come into force on 1st day of April, 2024.

Form No. 1

To be furnished by a Unit of International Financial Services Centre ('payee') to the 'payer'

(1) Name of the assessee:

(2) Permanent Account Number:

(3) Name and address of the Unit of International Financial Services Centre:

(4) Date of permission obtained under clause (a) of sub-section (1) of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or permission or registration under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or permission or registration under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) or any other relevant law, as mentioned in sub-section (1A) of section 80LA of the Income-tax Act, 1961:

Statement-cum-Declaration

I .... son/daughter of.................................... in capacity.., do hereby declare that the above-mentioned Unit is engaged in the business of ………………… and is eligible for deduction under sub-section (1A) and sub-section (2) of section 80LA of the Income-tax Act, 1961. I further declare that the above-mentioned International Financial Services Centre Unit has opted to claim the said deduction for the period from the previous year...... relevant to assessment year.... to the previous year.... relevant to assessment year…… I further declare that the above mentioned Unit continues to be a unit working in International Financial Services Centre and continues to be engaged in the business of ………… during the year ……………… (relevant to Assessment Year ………..….) in which this statement-cum- declaration is being submitted.

Verification

I………………….son/daughter of ……………..in capacity………. do hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Signature of the declarant

(to be signed by a person competent to sign the return of income as provided in section 140 of the Income-tax Act)

[Notification No. 28/2024/F.No. 275/21/2023-IT(B)]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.07 20:08:14 +05'30'